

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 570/10

संस्थापन दिनांक:-22/11/10

फाईलिंग नं. 233504000082010

मध्यप्रदेश राज्य  
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रु द्ध**

1. डिजेंद्र पिता बसंत कुमार मालवीय, उम्र 31 वर्ष,
2. भावेश उर्फ भानू पिता चंद्रशेखर मालवीय, उम्र 24 वर्ष  
दोनों निवासी राजा मेडिकल स्टोर आमला,  
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

**—: (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 23.03.2017 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 325/34, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 18.10.2010 को शाम 04:00 बजे राम मंदिर की चाल आमला में सार्वजनिक स्थल पर अश्लील शब्दों का उच्चारण कर फरियादी रूपेश को क्षोभ कारित किया एवं सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी रूपेश की मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की एवं उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 18.10.2010 को शाम 4 बजे राम मंदिर गली अपने घर जा रहा था तभी उसे अभियुक्तगण मिले और उसे मादरचोद बहनचोद की गालियां देने लगे। उसने अभियुक्तगण से गाली देने का कारण पूछा तो अभियुक्तगण ने यह कहा कि तू मोहल्ले में बहुत उधम कर रहा है और ऐसा कहते हुए हाथ में रखी लकड़ी से मारपीट की जिससे उसे सिर, बांये पैर, बांये कंधे, पर चोट आयी। अभियुक्तगण ने उसे जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क. 293/10 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाये गये। चिकित्सकीय

रिपोर्ट में फरियादी को अस्थिभंग पाया जाने से अभियोग पत्र में धारा 325 भा.द. सं. का इजाफा किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
3. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
4. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया ?
5. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने सामान्य आशय की पूर्ति में फरियादी रूपेश के साथ लकड़ी से मारपीट कर उसे घोर उपहति कारित की ?
6. क्या अभियुक्तगण द्वारा ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
7. क्या अभियुक्तगण ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
8. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

**।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।**

### विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 07 का निराकरण

5 रूपेश (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि उसे अभियुक्तगण ने घटना के समय मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी थी। अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित करने के संबंध में अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने कोई कथन प्रकट नहीं किये हैं।

6 रूपेश (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय मां बहन की गंदी गंदी गालियां दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्तगण द्वारा किन-किन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

7 रूपेश (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्तगण द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दिया जाना बताया है। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित करने के संबंध में अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने कोई कथन प्रकट नहीं किये हैं। अभियुक्तगण द्वारा फरियादी रूपेश (अ.सा.-1) को जान से मारने की धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्तगण का उनके द्वारा दी गयी धमकी को क्रियान्वित करने का आशय रहा हो। अतः मारपीट के समय दी गई धौंस मात्र से धारा-506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

### विचारणीय प्रश्न क. 04, 05 एवं 06 का निराकरण

8 रूपेश (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि उसे अभियुक्तगण ने बेसवाल के डंडे और मोटे लठ्ठ से मारा था जिससे उसके सिर, दांये कंधे, दांये हाथ, दांये हाथ की अंगुली, दांहिने पैर में फेक्चर था, सिर फट गया था। शशी (अ.सा.-5) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि जब वह मौके पर पहुंची तो उसने अपने बेटे रूपेश को जख्मी हालत में देखा था। फिर वह अपने बेटे को आटो में बैठाकर अस्पताल लेकर आयी थी। उसके बेटे के सिर में चोट थी।

9 डॉ. बी.पी. चौरिया (अ.सा.-4) ने दिनांक 22.10.2010 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत रूपेश का परीक्षण किये जाने पर आहत के सिर की बांयी हाड्डी पर पांच टांके लगा हुआ घाव, बांयी अग्रभुजा के पीछे 2 गुणा 2 इंच आकार की सूजन, दाहिने हाथ के पीछे वाले भाग में सूजन, दाहिने पैर के आगे की तरफ 1 गुणा 1 इंच आकार की सूजन एवं बांयी स्केपुलर हड्डी पर 2 गुणा 2 इंच आकार की सूजन पायी थी। साक्षी ने चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी-4) पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।

10 डॉ. ओ.पी. यादव (अ.सा.-6) ने उसके न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 25.10.2010 को जिला चिकित्सालय बैतूल में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए आहत रूपेश को सर्जिकल वार्ड से डॉक्टर राठौर के द्वारा रेफर किये जाने पर आहत की एक्सरे प्लेट क. 6955 में आहत के दांये हाथ की मेटाकार्पल टूटी एवं पिंढली के एक्सरे में दांयी फिबुला हड्डी का उपरी हिस्सा टूटा होना पाया था। साक्षी के द्वारा उसके द्वारा तैयार एक्सरे रिपोर्ट (प्रदर्श पी-5) पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया गया है। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षी तथा साक्षी डॉ. बी.पी. चौरिया (अ.सा.-4) एवं साक्षी रूपेश (अ. सा.-3) के कथनों से आहत रूपेश के द्वारा बताये गये स्थान पर चोट आने के तथ्य की संपुष्टि होती है।

11 सरजेराव भौसले (अ.सा.-7) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 28.10.2010 को थाना आमला में एएसआई के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क. 293/10 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श पी-5) एवं दिनांक 31.10.2010 को अभियुक्तगण डिजेंद्र एवं भावेश को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी-6 एवं प्रदर्श पी-7 के गिरफ्तारी पत्रक बनाना बताया है। साक्षी के अनुसार आहत की एक्सरे रिपोर्ट में अस्थिभंग पाये जाने पर उसने अभियोग पत्र में धारा 325 भा.दं.सं. का इजाफा किया था।

12 **बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि** प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर मात्र आहत एवं उसकी मां की साक्ष्य उपलब्ध है जो कि हितबद्ध साक्षी हैं। अतः मात्र आहत की साक्ष्य पर भरोसा कर अभियोजन के मामले को प्रमाणित नहीं माना जा सकता। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

13 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में यह सही है कि प्रकरण में साक्षी सोनू (अ.सा.-1) ने अपने समक्ष लड़ाई झगड़े से इनकार किया है। साक्षी ने घटना के संबंध में कोई भी जानकारी न होना बताया है। उपर्युक्त साक्षी ने

अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं परंतु स्वतंत्र साक्षी मोहम्मद खालिक (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि फरियादी रूपेश की मां ने उसे घर पर आकर यह बताया था कि उसका बेटा घायल पड़ा है तब वह रूपेश को लेकर अस्पताल गया था तथा रूपेश के सिर में चोट थी। इस प्रकार तत्काल पश्चात साक्षी के आहत को घायल अवस्था में देख जाने से आहत के शरीर पर चोट होने के तथ्य की संपुष्टि होती है। इस प्रकार बचाव अधिवक्ता का यह तर्क कि किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है उचित प्रतीत न होने से अमान्य किया जाता है।

14 यदि तर्क के लिए यह माना भी जाये कि किसी स्वतंत्र साक्षी से इस तथ्य का समर्थन नहीं हो रहा है कि उन्होंने अपने समक्ष अभियुक्तगण द्वारा फरियादी की मारपीट करते देखा तब भी अभिलेख पर आहत की साक्ष्य उपलब्ध है। यह उल्लेखनीय है कि आहत घटना का सर्वोत्तम साक्ष्य होता है। साथ ही इस संबंध में **साक्ष्य अधिनियम की धारा 134** यह उपबंधित करती है कि *किसी मामले में किसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए साक्षियों की कोई विशेष संख्या अपेक्षित नहीं है।* इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत **जोसेफ विरूद्ध केरल राज्य (2003) 1 एससीसी 465** अवलोकनीय है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि — *एकमात्र साक्षी की साक्ष्य भी यदि पूरी तरह विश्वसनीय पायी जाती है तो उस पर दोषसिद्ध स्थिर की जा सकती है।*

15 साथ ही बचाव अधिवक्ता का यह तर्क कि फरियादी की मां हितबद्ध साक्षी है जिसके कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में यह उल्लेखनीय है कि मात्र हितबद्ध साक्षी होना ही किसी साक्षी की साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का आधार नहीं होता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **वीरेंद्र पोददार विरूद्ध स्टेट ऑफ बिहार ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 233** में यह प्रतिपादित किया गया है कि रिश्तेदारी किसी गवाही की साक्ष्य को अविश्वसनीय मानने का आधार नहीं हो सकती है। अतः अभिलेख पर उपलब्ध आहत रूपेश एवं उसकी मां शशी की साक्ष्य की सावधानी से छानबीन अपेक्षित है।

16 रूपेश (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना दिनांक को शाम को लगभग 4 बजे वह राम मंदिर गली से अपने घर तरफ आ रहा था। तभी रास्ते में अभियुक्त डिजेंद्र एवं भावेश मिले। अभियुक्त भावेश के हाथ में बेसवाल का डंडा था और डिजेंद्र के हाथ में मोटा लठ्ठ था। दोनों अभियुक्तगण उसे लगातार डंडे से मार रहे थे तथा मारपीट से उसके

सिर, दांये कंधे, दांये हाथ की अंगुली, कमर और दांहिने पैर में फेक्चर था। उसका सिर भी फटा हुआ था। उसके सिर में 10 टांके आये थे। उसके द्वारा घटना की रिपोर्ट थाने में की गयी थी।

17 शशी (अ.सा.-5) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना लगभग शाम 4-5 बजे की है। वह घटना के समय अपने घर पर थी। उसे मोहल्ले के एक छोटे बच्चे ने आकर बताया कि आंटी आपके बेटे रूपेश को बहुत सारे लोग मार रहे हैं। जब वह दौड़ते दौड़ते मौके पर पहुंची तो देखा कि उसका बेटा खून से लथपथ डला है। वह अपने बेटे को इस हालत में देखकर थाने गयी परंतु थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी तो वह वापस मौके पर आ गयी और गोलू नाम के लड़के से मदद मांगी और फिर अपने बेटे को आटो में बैठाकर अस्पताल ले गयी जहां उसका ईलाज हुआ था। इसके बाद अपने बेटे को बैतूल ईलाज के लिए ले गयी थी और ईलाज के बाद उसके बेटे ने थाने में रिपोर्ट की थी।

18 रूपेश (अ.सा.-3) ने प्रतिपरीक्षण में पैरा क. 03 में बचाव के इस सुझाव को सही बताया है कि वह घटना के समय बेहोशी की अवस्था में था परंतु इसी पैरा में साक्षी ने इस सुझाव से इनकार किया है कि उसके होश में आने के बाद अन्य लोगों ने उसे अभियुक्तगण का नाम बताया था। स्वतः में साक्षी ने कहा है कि उसे अभियुक्तगण ने ही मारा था, उसने देखा था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 07 में इस सुझाव से इनकार किया है कि वह शराब के नशे में गिर गया था जिससे उसे चोट लगी थी। पैरा क. 04 में साक्षी ने यह बताया है कि उसने घटना की रिपोर्ट चार दिन बाद की थी। इसी पैरा में साक्षी ने यह बताया है कि उसने पुलिस को यह बता दिया था कि उसे दांहिने हाथ, दांये कंधे, दांहिने हाथ की अंगुली, सिर, कमर और दांहिने पैर में चोट थी। शशी (अ.सा.-5) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि जब वह मौके पर पहुंची तो वहां उसका बेटा रूपेश पड़ा हुआ था। स्वतः में बताया है कि अभियुक्तगण सामने से भाग रहे थे।

19 रूपेश (अ.सा.-3) न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किये जाने के तथ्य पर अखंडित रहा है। शशी (अ.सा.-5) यद्यपि चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है परंतु घटना के तत्काल पश्चात साक्षी का मौके पर आना तथा घायल अवस्था में अपने बेटे रूपेश को देखने से आहत रूपेश को चोट आने के तथ्य की संपुष्टि होती है। साथ ही साक्षी मोहम्मद खालिक (अ.सा.-2) ने भी यह बताया है कि शशी ने यह बताया था कि उसका बेटा रूपेश घायल अवस्था पर पड़ा है तो वह रूपेश को अस्पताल लेकर गया था और उसके सिर में चोट भी देखी थी। इस प्रकार साक्षी मोहम्मद खालिक के कथनों से भी घटना के तत्काल पश्चात आहत को चोट आने के तथ्य की संपुष्टि होती है।

20 प्रकरण में बचाव पक्ष के द्वारा स्वयं अभियुक्त डिजेंद्र (ब.सा.-3) को एवं अन्य बचाव साक्षी मनीष (ब.सा.-1) एवं दीपक (ब.सा.-2) को परीक्षित कराया गया है। उपर्युक्त तीनों बचाव साक्षी ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय दुर्गा उत्सव चल रहा था और फरियादी रूपेश शराब पीकर दुर्गा पंडाल में आकर उधम करता था। मोहल्ले के लोगों ने उसे कई बार समझाया परंतु फिर भी वह नहीं मानता था। फरियादी रूपेश हमेशा शराब के नशे में गिरता पड़ता रहता था और उसे चोट लगती रहती थी। घटना दिन को भी अभियुक्तगण ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की थी। वह शराब के नशे में गिर गया था। प्रतिपरीक्षण में उपर्युक्त तीनों साक्षीगण ने यह बताया है कि उन्हें नहीं पता कि घटना वाले दिन कितने बजे फरियादी रूपेश शराब पीकर पंडाल में आया था। साक्षीगण ने यह भी बताया है कि फरियादी पंडाल के अंदर परेशान कर रहा था तो पुलिस के द्वारा उसे हटा दिया गया था लेकिन वह फिर से आ गया और पंडाल के पास की नाली में गिर गया था जिससे उसका सिर फूट गया था।

21 बचाव अधिवक्ता का भी यह महत्वपूर्ण तर्क रहा है कि फरियादी रूपेश आद्यतन अपराधी है और शराब का भी आदी है। साथ ही बचाव पक्ष के द्वारा अपने तर्क के समर्थन में फरियादी रूपेश के थाना आमला में दर्ज अपराधों की सूची (प्रदर्श डी-2) प्रस्तुत की गयी है। साथ ही यह भी तर्क किया गया है कि घटना वाले दिन फरियादी रूपेश शराब पीकर नाली में गिर गया था जिससे उसे सिर में चोट आयी थी तथा बचाव साक्षी मनीष (ब.सा.-1), दीपक (ब.सा.-2) एवं डिजेंद्र (ब.सा.-3) ने भी अपने कथनों में यह बताया है कि फरियादी रूपेश शराब पीकर नाली में गिर गया था जिससे उसे चोट आयी थी।

22 फरियादी रूपेश (अ.सा.-3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव के इस सुझाव से इनकार किया है कि वह शराब ने नशे में गिर गया था। फरियादी रूपेश के सिर के अतिरिक्त शरीर के अन्य भागों पर भी चोटें आना डॉ. बी.पी. चौरिया (अ.सा.-4) ने अपने चिकित्सकीय परीक्षण में बताया है। इस प्रकार बचाव पक्ष का यह तर्क अस्वाभाविक प्रतीत हो रहा है कि फरियादी रूपेश को शराब के नशे में नाली में गिरने के कारण सिर पर चोट आयी थी क्योंकि आहत के मात्र सिर पर चोट नहीं पायी गयी है। यदि तर्क के लिए माना भी जाये कि आहत शराब के नशे में गिर गया था तब भी आहत के सिर के बांये तरफ चोट है तब ऐसी स्थिति में आहत के मात्र शरीर के बांये तरफ ही गिरने से अन्य चोटें आनी चाहिए थी परंतु आहत के संपूर्ण शरीर पर अर्थात् दांये एवं बांये दोनों भागों पर चोटें हैं। इस प्रकार बचाव पक्ष का यह तर्क अस्वाभाविक प्रतीत होता है। साथ ही बचाव का ऐसा सुझाव भी नहीं है कि आहत एक से अधिक बार गिरा हो।

23 **बचाव अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि** आहत रूपेश (अ.सा.-3) ने अभियोजन कथा के अनुरूप कथन नहीं किये हैं। उसके न्यायालयीन कथनों में एवं पुलिस कथनों में पर्याप्त विसंगति है। तर्क के परिप्रेक्ष्य में यह सही है कि आहत रूपेश ने न्यायालय में बढ़ाचढ़ाकर कथन किये हैं। जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट अनुसार अभियुक्तगण द्वारा उसकी लकड़ी से मारपीट की जाना लेख है वहीं न्यायालयीन परीक्षण में आहत रूपेश ने अभियुक्तगण द्वारा बेसवाल के डंडे एवं मोटे लठ्ठ से मारा जाना बताया है। साथ ही आहत के प्रतिपरीक्षण में भी कुछ विसंगति है परंतु जिन्हें बचाव अधिवक्ता तात्त्विक बता रहे हैं वह अत्यन्त सामान्य हैं। सामान्यतः मानवीय स्वभाव के अनुरूप कोई भी व्यक्ति घटना को बढ़ाचढ़ाकर बताता है। अतः बचाव अधिवक्ता यह तर्क भी उचित न होने से अमान्य किया जाता है।

24 **बचाव अधिवक्ता का एक अन्य महत्वपूर्ण तर्क यह भी है कि** अभियुक्तगण से कोई जप्ती नहीं की गयी है। तर्क के परिप्रेक्ष्य में प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तगण द्वारा लकड़ी से मारपीट किया जाना लेख है। यद्यपि न्यायालयीन परीक्षण में आहत ने मोटे लठ्ठ और बेसवाल के डंडे से मारपीट करना बताया है परंतु न्यायालय के मत में मारपीट के समय प्रयुक्त हथियार में मात्र विरोधाभास से आहत के कथन अविश्वसनीय नहीं हो जाते हैं। साथ ही अभियुक्तगण से घटना में प्रयुक्त हथियार जप्त न किया जाना अनुसंधान की कमी है जिसका लाभ अभियुक्तगण को नहीं दिया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **राम लखनसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ यू.पी. ए.आई. आर. 1977 एस.सी. 1936** उल्लेखनीय है।

25 **बचाव अधिवक्ता का एक अन्य तर्क यह भी रहा है कि** फरियादी के द्वारा घटना के लगभग चार दिन बाद रिपोर्ट लेख करायी गयी है। साथ ही जब आहत की प्रथम एमएलसी हुई तब डॉक्टर चौरिया (अ.सा.-4) के द्वारा आहत को मात्र चोट क. 03 के लिए जिला चिकित्सालय बैतूल रिफर किया गया था परंतु डॉ. ओ.पी. यादव (अ.सा.-6) ने यह बताया है कि उनके पास आहत को डॉक्टर राठौर के द्वारा रिफर किया गया था तथा एक चोट के लिए रिफर न करते हुए कई चोटों के लिए रिफर किया गया था।

26 **बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में यह सही है कि** फरियादी के द्वारा घटना के लगभग चार दिन बाद रिपोर्ट लेख करायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलंब से रिपोर्ट लेख कराये जाने का कारण आहत का बैतूल चला जाना लेख है। आहत रूपेश के शरीर पर कई चोटें पायी गयी है। आहत रूपेश की मां शशी (अ.सा.-5) ने भी अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि मौके पर उसका बेटा खून से लथपथ डला था। वह उसके बेटे रूपेश का प्राथमिक उपचार कराने के बाद बैतूल ले गयी थी यह स्वाभाविक



है कि यदि किसी व्यक्ति को कई चोटें आयी हो, वह अत्यन्त घायल अवस्था में हो तो वह एवं उसके परिवार के लोग सर्वप्रथम उसका उपचार करायेंगे। अतः ऐसी स्थिति में बचाव अधिवक्ता का यह तर्क उचित प्रतीत नहीं होता है। साथ ही विलंब से प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराये जाने का पर्याप्त स्पष्टीकरण अभियोजन साक्ष्य से दर्शित होता है एवं विलंब का कारण भी स्वाभाविक प्रतीत होने से यह तर्क भी अमान्य किया जाता है। जहां तक भिन्न-भिन्न डॉक्टर के द्वारा आहत को आयी चोटों के लिए रिफर किये जाने का प्रश्न है। वहां आहत के प्रथम चिकित्सकीय परीक्षण में जिस जगह पर डॉ. बी.पी. चौरिया (अ. सा.-4) ने चोट आना बताया है उन्हीं स्थानों पर आहत के शरीर पर फेक्चर पाया गया है। तब ऐसी स्थिति में बचाव का यह तर्क भी उचित न होने से अमान्य किया जाता है।

27 **बचाव अधिवक्ता का यह तर्क है कि** फरियादी रूपेश शराब पीकर मोहल्ले में उधम करता था जिसके लिए उसे बार-बार समझाईश देकर मना किया जाता था इसलिए उसने अभियुक्तगण की झूठी रिपोर्ट कर दी है। तर्क के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि आहत रूपेश की अभियुक्तगण से कोई पुरानी बुराई या रंजिश रही हो या कभी कोई विवाद हुआ हो तब ऐसी स्थिति में यह तर्क भी उचित प्रतीत न होने से अमान्य किया जाता है।

28 फरियादी रूपेश (अ.सा.-3) अपने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किये जाने के तथ्य पर पूर्ण रूपेण स्थिर रहा है। उसके कथनों की आंशिक संपुष्टि साक्षी शशी (अ.सा.-5) एवं मोहम्मद खालिक (अ.सा.-2) के कथनों से भी होती है। फरियादी रूपेश की साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य से भी संपुष्ट है। अतः आहत/फरियादी रूपेश (अ.सा.-3) के कथनों पर अविश्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है। इस प्रकार अभियोजन अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है।

29 अभियुक्तगण का एक साथ मौके पर आना और फरियादी की मारपीट करना उनके सामान्य आशय को दर्शित करता है तथा अभियुक्तगण के द्वारा फरियादी पर एक से अधिक प्रहार किया जाना उनके स्वेच्छया आचरण को दर्शित करता है। अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे कि यह दर्शित हो कि अभियुक्तगण को प्रकोपन दिया गया हो।

### **विचारणीय प्रश्न क. 08 का निराकरण**

30 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना

दिनांक, समय व स्थान पर अश्लील शब्दों का उच्चारण कर फरियादी रूपेश को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी रूपेश को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया किंतु अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी रूपेश की मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की। फलतः अभियुक्तगण डिजेंद्र एवं भावेश उर्फ भानू को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा धारा 325/34 भा.दं.सं. के आरोप में दोषी पाया जाता है।

31 अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:- दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

32 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है। अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। साथ ही बचाव अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अभियुक्त भावेश 21 वर्ष का है अतः उसे परिवीक्षा का लाभ दिया जावे। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध सामान्य आशय बनाकर फरियादी के साथ मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने का मामला प्रमाणित हुआ है। अतः उन्हें अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

33 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्त भावेश की आयु उसके अभियुक्त परीक्षण में 24 वर्ष लेख है। अभियुक्त भावेश से पूछे जाने पर उसने यह बताया कि वह 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। तब ऐसी स्थिति में जबकि अभियुक्तगण द्वारा फरियादी के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर उसे घोर उपहति कारित करने का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्तगण अपने कृत्य की प्रकृति

व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली-भांति सक्षम थे, अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय-संगत नहीं है।

34 अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धि भी अभिलेख पर नहीं है। घटना में अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय निर्मित कर फरियादी के साथ मारपीट कर उसे घोर उपहति पहुंचायी गयी है। प्रकरण के संपूर्ण तर्कों एवं परिस्थितियों को विचार में लेने के पश्चात तथा अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्तगण को मात्र अर्थदंड से दंडित किया जाना उचित नहीं है। फलतः अभियुक्तगण डिजेंद्र एवं भावेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 325/34 के आरोप में एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500/- 500/- रुपये के अर्थदंड के दंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्तगण को 15-15 दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

35 धारा 357(1) दं.प्र.सं. के अंतर्गत अर्थदंड की राशि में से 700/- रुपये आहत रूपेश पिता मदनलाल शर्मा निवासी राम मंदिर आमला, थाना आमला, जिला बैतूल को प्रतिकर स्वरूप अपील अवधि पश्चात प्रदान किये जावे। अपील होने के दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

36 अभियुक्तगण को अभिरक्षा में लिया जाये एवं उनका सजा वारंट तैयार किया जाये। प्रकरण में अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभियुक्तगण द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को कारावास की मूल अवधि में समायोजित किया जाकर शेष कारावास की सजा भुगताये जाने हेतु अभियुक्तगण को उप जेल मुलताई भेजा जावे एवं इस संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

37 दं0प्र0सं0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्तगण को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)